

विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

वीरवार, 09 मार्च, 2023 / 18 फाल्गुन, 1944 (शक)

संख्या-99

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सातवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र (बजट सत्र) का प्रारंभ :

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि सातवीं विधान सभा का चतुर्थ सत्र (बजट सत्र) शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च, 2023 को विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 में प्रारंभ होगा।

उपराज्यपाल का अभिभाषण:

यह वर्ष का प्रथम सत्र है, अतः माननीय उपराज्यपाल 17 मार्च, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा सचिवालय सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-54 में सभा को संबोधित करेंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे पूर्वाह्न 10.45 बजे तक अपना आसन ग्रहण कर लें।

माननीय उपराज्यपाल के प्रस्थान के 30 मिनट उपरांत सदन की विधिवत गठित बैठक अपना कार्य आरंभ करेगी।

चतुर्थ सत्र (बजट सत्र) के दौरान कार्य निष्पादन के लिए दिनों का आबंटन :

विधान सभा की बैठकें संभावित तौर पर 17, 20, 21, 22 एवं 23 मार्च 2023 के लिए निर्धारित की गई हैं। कार्य की अत्यावश्यकता होने पर सदन की बैठकें बढ़ायी जा सकती हैं।

बैठक का समय :

विधान सभा की बैठकें उपरोक्त तिथियों पर होंगी और तब तक चलेंगी जब तक कि उस दिन के लिये निर्धारित कार्य समाप्त नहीं हो जाता। गणपूर्ति की घंटी नियत समय से 05 मिनट पूर्व बजेगी ताकि सदस्य अपना आसन ग्रहण कर सकें। 17 मार्च, 2023 को उपराज्यपाल के अभिभाषण के दिन, गणपूर्ति की घंटी नहीं बजेगी।

विधान सभा की बैठक प्रतिदिन पूर्वाह्न 11.00 बजे से प्रारम्भ होगी और तब तक चलेगी जब तक उसे उस दिन के लिए स्थगित न कर दी जाए। सदस्यों को अपने स्थान ग्रहण करने के लिए पूर्वाह्न 10:55 बजे गणपूर्ति घंटी बजेगी। भोजन अवकाश अपराह्न 01:00 बजे से 02:00 बजे तक रहेगा।

दिनांक 17 मार्च, 2023 को सदन की बैठक, माननीय उपराज्यपाल के संबोधन के उपरांत 30 मिनट बाद आरंभ होगी। जैसा कि ऊपर उल्लेख है, माननीय उपराज्यपाल 17 मार्च, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे सदन को सम्बोधित करेंगे।

बैठने की व्यवस्था:

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सदन में अपने निर्धारित आसन ग्रहण करें।

प्रश्नों की सूचनाएँ:

सातवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र (बजट सत्र) के लिए प्रश्नों की सूचनाएँ तत्काल प्रभाव से प्राप्त की जायेंगी।

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रश्नकाल दिनांक 22 एवं 23 मार्च, 2023 को होगा।

चतुर्थ सत्र (बजट सत्र) के दौरान प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दिनों का आबंटन (नियम-37):

मंत्रियों द्वारा चतुर्थ सत्र (बजट सत्र) में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नानुसार दिनों को निर्धारित किया गया है:-

| क्रम सं. | विभाग | बैठक की तिथि | कॉलम-2 में दर्शाये विभागों से संबंधित प्रश्नों के नोटिस प्राप्त करने की अंतिम तिथि (अप. 03.00 बजे तक) | मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए बैलेटिंग की तिथि (अप. 05.00 बजे) |
|----------|---|--------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> ● प्रशासनिक सुधार, ● विकास, ● शिक्षा, ● रोजगार, ● उच्च शिक्षा, ● सूचना प्रौद्योगिकी, ● सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, ● कला, संस्कृति एवं भाषा, ● सहकारिता, ● दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, ● निर्वाचन, ● पर्यावरण, वन एवं वन्यजीवन, ● आबकारी, ● वित्त, ● खाद्य एवं आपूर्ति, ● गुरुद्वारा चुनाव एवं प्रशासन, ● सूचना एवं प्रचार, ● योजना, ● पर्यटन, ● व्यापार एवं कर, ● शहरी विकास, | 22 मार्च, 2023 बुधवार | 10 मार्च, 2023 शुक्रवार | 10 मार्च, 2023 शुक्रवार |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> ● विधि न्याय एवं विधायी मामले, ● लोक निर्माण विभाग, ● राजस्व, ● प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, ● सर्तकता, ● जल (दिल्ली जल बोर्ड) ● स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ● खाद्य संरक्षण, ● सामान्य प्रशासन विभाग, ● गृह, ● उद्योग, | 23 मार्च, 2023 वीरवार | 10 मार्च, 2023 शुक्रवार | 10 मार्च, 2023 शुक्रवार |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● जेल, ● श्रम, ● भूमि एवं भवन, ● ऊर्जा ● सेवाएं, ● समाज कल्याण, ● परिवहन, ● अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण, ● महिला एवं बाल विकास | | | |
|--|--|--|--|

टिप्पणी:-

1. एक सदस्य एक दिन के लिए पांच प्रश्नों की ही सूचना दे सकेगा {नियम-36 (1)} ।
2. प्रत्येक प्रश्न मुख्यतः एक ही विभाग से संबंधित होना चाहिए {नियम-31 (xxii)} ।
3. अत्यधिक लम्बे प्रश्नों और/अथवा विभिन्न विषयों पर सूचना माँगने वाले प्रश्नों को नियमों के अनुकूल संपादित कर दिया जाएगा ।
4. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि यदि किसी प्रश्न की सूचना निर्धारित अंतिम तिथि और समय के पश्चात् प्राप्त होगी तो ऐसी सूचना अस्वीकृत मानी जायेगी। **सूचनाएं प्राप्त करने का समय अपराह्न 03.00 बजे तक है, जैसा कि कॉलम 4 में ऊपर दर्शाया गया है।**
5. जहाँ प्रश्न में किसी राष्ट्रीय अथवा स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किसी समाचार का हवाला दिया जाये, वहाँ ऐसे प्रश्न को ग्राह्य बनाने हेतु उसके साथ संबंधित समाचारों की कतरन नत्थी करना आवश्यक है। इस तरह के जिन प्रश्नों के साथ संबंधित समाचारों की कतरनें नत्थी नहीं की जायेंगी, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
6. अगर एक ही तरह के विषय पर कई प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त होंगी तो उन्हें इकट्ठा (क्लब) कर दिया जाएगा।
7. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रश्नों पर अपनी प्राथमिकता का संकेत स्पष्टता और सफाई से दें। यदि प्राथमिकता का संकेत नहीं दिया जाता है तो प्राथमिकता का निर्णय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. प्रश्नों की बैलेटिंग सचिव के कक्ष (कमरा नं0 54) में उपरोक्त दिये गये समयानुसार की जायेगी। सभी माननीय सदस्य बैलेटिंग में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित है।
9. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि विस्तृत जानकारी के लिए प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के अध्याय -VII का अवलोकन करें तथा सूचनाओं के अस्वीकृत होने से बचने के लिए इसके प्रावधानों का पालन करें।

विशेष उल्लेख (नियम-280) :

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार जो माननीय सदस्य नियम-280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को उठाना चाहते हैं, प्रस्तावित विषय की सूचना मामला उठाने की तिथि से एक दिन पूर्व कार्यदिवस को अपराह्न 05.00 बजे तक दे सकते हैं। प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग उस दिन पूर्वाह्न 09.30 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी, जिस दिन मामले को उठाया जाना प्रस्तावित है। दिनांक 20, 22 एवं 23 मार्च, 2023 के लिए विशेष उल्लेख की सूचनाएं दी जा सकती है।

बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु माननीय सदस्यों का स्वागत है। माननीय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 8-10 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस विषय को उठाते समय मूल पाठ से न हटें। मूल स्वीकृत पाठ से हटकर उठाए गए मामले को सदन की कार्यवाही से निकाला हुआ माना जाएगा। विषय केवल एक ही विभाग एवं एक मुद्दे से ही संबंधित होना चाहिए।

नोटिसों की प्रक्रिया :

- (क) सदस्यों का ध्यान दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम-258 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्न प्रकार है:-
1. नियमों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक सूचना लिखित रूप में सचिव को सम्बोधित करते हुए दी जायेगी और सूचना देने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी, जिसमें उसकी विभाजन संख्या भी दर्शायी जाएगी तथा नोटिस शाखा में ही दी जाएगी जो कि इस प्रयोजन के लिये शनिवार, रविवार या सार्वजनिक छुट्टी के दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिन समय-समय पर अधिसूचित किये जाने वाले समय के लिए खुली रहेगी।
 2. नोटिस शाखा में उप-नियम (1) के अंतर्गत अधिसूचित समय के बाद प्राप्त हुई सूचनाएँ अगले कार्य दिवस के लिये दी गई समझी जायेंगी।
 3. जब सदन की बैठक हो रही हो तो कटौती प्रस्तावों के अतिरिक्त जो सूचनाएँ उप-नियम(1) के अंतर्गत प्राप्त होंगी, उनकी प्रतिलिपि सचिव द्वारा सदस्यों में अगले दिन तक वितरित कर दी जाएँगी।
- (ख) नोटिस देने वाले सदस्य को प्रत्येक सूचना पर विभाजन संख्या अंकित करते हुए बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिए और उसे विधान सभा की नोटिस शाखा में जमा कराना चाहिए। **नोटिस शाखा कमरा नंबर 46 में स्थित है।**
- (ग) विधान सभा की नोटिस शाखा में दिए गए सभी नोटिसों पर तिथि की मुहर और नोटिस प्राप्त करने का समय भी अंकित किया जाता है।
- (घ) चूंकि विधान सभा की नोटिस शाखा ही सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब किये सम्बद्ध शाखाओं/अधिकारियों तक प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है, अतएव, सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सूचनाएँ न तो सदन पटल पर रखें और न ही विधान सभा सचिवालय के किसी अन्य अधिकारी/शाखा को दें। यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उनके द्वारा दिए गए नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।
- (ङ) विधान सभा की नोटिस शाखा कार्यालय समयानुसार अर्थात् पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक खुली रहेगी।

दर्शक-दीर्घा : दर्शक दीर्घा पास बनाने के लिए निर्देश :

दर्शक दीर्घा पास जारी करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय के निम्नलिखित निर्देशों का विवरण माननीय सदस्यों की सूचना एवं अनुपालन हेतु नीचे दिया गया है:-

- i. माननीय सदस्य दर्शक दीर्घा के लिए आगंतुकों के नामों का अनुमोदन तभी करें, जब वे आगंतुकों के पूर्ववृत्त के संबंध में व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हों।
- ii. दर्शक दीर्घा पास बनवाने के लिए प्रार्थना-पत्र तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक उनपर संबंधित विधायक के हस्ताक्षर तथा मोहर न हो तथा आगंतुकों के फोटो पहचान पत्र की विधायक द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न न हो।
- iii. पास जारी करने के लिए टेलिफोन पर किये गये अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- iv. जिस दिन के लिए दर्शक दीर्घा का पास चाहिए, उसका आवेदन पत्र उस दिन से एक कार्य दिवस पूर्व अपराह्न 05:00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किया जाए।
- v. दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक पास जारी नहीं किए जाएंगे।
- vi. दर्शक दीर्घा के लिए पास सामान्यतः उसी दिन जारी नहीं किये जाएंगे।

राज कुमार
सचिव

**LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative & other matters)

Thursday, 09 March 2023/ 18, Phalgun, 1944 (*Shaka*)

No. 99

COMMENCEMENT OF FOURTH SESSION (BUDGET SESSION) OF THE SEVENTH LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI:

Hon'ble Members are informed that the Fourth Session (Budget Session) of Seventh Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Friday, 17th March, 2023 at 11:00 A.M. in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi-110054.

LIEUTENANT GOVERNOR'S ADDRESS:

Being the First Session of the year, Hon'ble Lieutenant Governor shall address the Assembly on **17th March, 2023, at 11:00 A.M.** Hon'ble Members are requested to kindly be in their seat by 10.45 AM.

Thirty minutes after Hon'ble Lieutenant Governor's departure, the duly constituted sitting of the House shall take place to transact the listed business.

ALLOTMENT OF DAYS FOR TRANSACTION OF BUSINESS DURING FOURTH SESSION:

Sittings of the Legislative Assembly have been tentatively fixed for 17, 20, 21, 22 & 23 March 2023. Subject to the exigencies of business, the sitting of the House may be extended.

TIME OF SITTING:

The Legislative Assembly will sit on the above days and will continue until the business fixed for the day is concluded. The quorum bell will be rung 05 Minutes before the time stipulated above to enable Members to take their seat. On 17th March, 2023 at the time of Lieutenant Governor's Address, the Quorum bell will not be rung.

The sittings of the Legislative Assembly shall commence at 11.00 A.M. daily and continue till it is adjourned for the day. The quorum bell will be rung at 10.55 A.M. to enable Members to take their seats. The lunch break will be observed between 01:00 P.M. to 02:00 P.M.

On 17th March 2023, the sitting of the House will commence 30 minutes after conclusion of the Hon'ble Lieutenant Governor's Address. As mentioned above, the Hon'ble Lieutenant Governor shall address the Assembly on 17th March 2023 at 11.00 A.M.

SEATING ARRANGEMENT:

Hon'ble Members are requested to take their respective seats allotted to them in the House.

NOTICE OF QUESTIONS:

Notices of questions for the Fourth Session (Budget Session) will be received with immediate effect. As per the directions of Hon'ble Speaker, the Question Hour will be held on 22nd and 23rd March, 2023.

ALLOTMENT OF DAYS FOR ANSWERING QUESTIONS DURING THE FOURTH SESSION (BUDGET SESSION) (RULE 37):

For the Fourth Session (Budget Session), the days for answering questions by Ministers in respect of various Departments have been arranged so far as under:

Contd...

| S.No. | Departments | Date of Sitting | Last Date for receipt of questions for the Departments in Col.2 (Up to 3.00 PM) | Date of holding balloting for determination of priority for Oral Questions (At 5.00 PM) |
|-------|--|---------------------------------|---|---|
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> • Administrative Reforms • Development • Education • Employment • Higher Education • Information Technology • Irrigation & Flood Control • Art, Culture & Languages • Cooperative • DUSIB • Election • Environment, Forest & Wild Life • Excise • Finance • Food & Supplies • Gurudwara Election & Administration • Information & Publicity • Planning • Tourism • Trade & Taxes • Urban Development | 22.03.2023 Wednesday | 10.03.2023 Friday | 10.03.2023 Friday |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"> • Law, Justice & Legislative Affairs • PWD • Revenue • Training & Technical Education • Vigilance • Water (DJB) • Health & Family Welfare • Food Safety • General Administration Department • Home • Industries • Jail • Labour • Land & Building • Power • Services • Social Welfare • Transport • Welfare of SC, ST, OBC & Minorities • Women & Child Development | 23.03.2023 Thursday | 10.03.2023 Friday | 10.03.2023 Friday |

Note:

- (1) A Member may give notice of only five questions for a given day {Rule-36 (1)}.
- (2) Each question should primarily relate to one Department only {(Rule-31 (xxii))}.
- (3) Lengthy questions and/or questions seeking information on different subjects shall be edited to conform to the Rules.
- (4) Members may kindly note that if Notice of question is received after the prescribed deadline, such a Notice shall stand disallowed. The time for receipt of Notices shall be up to 3.00 P.M. of the last date of receipt of Questions for Departments as shown in Column 4 above.
- (5) Where the Questions draws a reference to a news item published in a national or local daily, the Question in order to be admissible must be accompanied by the relevant self-attested clipping of the news items. The Questions not accompanied by such clippings are likely to be disallowed.
- (6) The clubbing of Questions will be done in case several Notices of Question on the same subject matter are received.
- (7) Members are requested to indicate clearly and legibly their priority in respect of Questions. If no priority is indicated, the same will be decided according to the Rules.
- (8) Balloting will be held in the room of the Secretary (LAS), Room No.-54, as per schedule indicated. Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting.
- (9) Members are requested to go through Chapter VII of the Rules of Procedure & Conduct of Business for further details and abide by its provisions to avoid disallowing of Notices.

SPECIAL MENTION UNDER RULE-280:

As per direction of Hon'ble Speaker, Members who want to raise matters under Rule-280 may give Notice of the same **by 05:00 P.M. on the working day preceding the date of sitting on which the matter is proposed to be raised. Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 Notices will be held in the room of the Secretary, Legislative Assembly at 09.30 A.M on the day which it is proposed to be raised. Notices for Special mention can be given for 20th, 22nd and 23rd March, 2023.**

Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting. Hon'ble Members are requested to confine the text of the Special Mention to 8-10 lines only and not to deviate from the original text while raising the same on the floor of the House. Any deviation will be disallowed and treated as summarily expunged from the proceedings. The matter should relate to only one Department and raise only one issue.

PROCEDURE OF NOTICES:

- (a) Kind attention of the Members is invited to Rule 258 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly which reads as follows:
 - (1) Every Notice required by the rules shall be given in writing addressed to the Secretary and signed by the Member giving notice, also indicating his division number, and shall be delivered in the Notice Branch between such hours as notified from time to time, on every day except Saturdays, Sundays and public holidays.
 - (2) A Notice received in the Notice Branch after the hours other than those specified in sub-rule (1) shall be treated as given on the next working day.
 - (3) While the House is sitting, copies of Notices except of cut motions, received under sub-rule (1) shall be circulated by the Secretary to members by next day.
- (b) Every Notice should be signed in ink by the Member giving the Notice, indicating his division number and name in Capital letters and should be deposited in the Assembly Notice Branch. **THE NOTICE BRANCH IS LOCATED IN ROOM NO. 46.**
- (c) All Notices delivered in the Assembly Notice Branch are date-stamped and the time of receipt is also indicated thereon.

Contd...

- (d) As the Assembly Notice Branch is alone responsible for transmission of the Notices to the Branches/Officers concerned without delay, Members are, therefore, requested not to deposit their Notices either at the Table of the House or with any other Officer/Branch of the Assembly Secretariat. If any Member does so, it is not likely to be taken note of.
- (e) The Assembly Notice Branch shall remain open during office hours i.e. from 9.30 A.M. to 06:00 P.M.

VISITORS' GALLERY:

Guidelines for issuing Visitors' Gallery Passes

The following directions of the Hon'ble Speaker regarding issuance of visitors' Gallery Passes are detailed below for the kind information and compliance by Hon'ble Members:-

- i. The Hon'ble Members should recommend the names of persons for visitors' gallery only if they are personally assured about the visitors' antecedents.
- ii. Applications for passes will not be entertained unless they bear the signature and stamp of the MLA concerned and are enclosed with copies of photo I-Cards of the visitors duly attested by the concerned MLA.
- iii. Telephonic requests for issuance of passes will not be entertained.
- iv. Application forms for the issue of visitors' gallery passes must be submitted by 5:00 PM on the working day previous to the date for which the visitors' gallery passes are required.
- v. The seating capacity in the visitors' gallery being limited, not more than two passes will ordinarily be issued to a Member for each sitting.
- vi. No admission cards for the visitors' gallery will ordinarily be issued on the same day.

Raj Kumar
Secretary